

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील  
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 519/14

संस्थित दिनांक- 08.10.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र पिपरई  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

1. बादाम सिंह पुत्र गणेशराम यादव उम्र 52 साल
2. सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र बादाम सिंह यादव उम्र 22 साल  
सभी निवासीगण ग्राम खैराई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 20.03.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-504,324, 324/34, के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.07.14 को शाम करीब 06:00—07:00 बजे ग्राम खैराई थाना पिपरई में फरियादी कुन्दन को सआशय एवं यह सम्भाव्य जानते हुये गाली देकर अपमानित किया कि तदद्वारा कुन्दन प्रकोपित होकर लोकशांति भंग करे अन्य कोई अपराध कारित करे तथा साथ ही कुन्दन को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त बादाम सिंह ने कुन्दन को दांत से काट कर तथा अभियुक्त सोनू ने चांटो से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.07.14 को शाम करीब 06:00—07:00 बजे ग्राम खैराई फरियादी कुन्दन सिंह अपने खेत की तरफ मेवशी भगाने गया था वही पर अभियुक्त बादाम सिंह व सोनू यादव भी थे। फरियादी कुन्दन सिंह व अभियुक्तगण का पुराना लेनदेन का विवाद भी रहा है, उसी बात पर अभियुक्त बादाम सिंह फरियादी से बोला कि वह हिसाब कर ले। जब फरियादी ने कहा कि तू ही हिसाब नहीं करता तो उक्त बात पर अभियुक्त बादाम सिंह फरियादी से झूमा-झटकी करने लगा। अभियुक्त बादाम सिंह ने फरियादी के पीठ में मुंह से काट लिया और अभियुक्त

सोनू ने ने चांटे मारे उक्त घटना के समय देवेन्द्र व पहलवान सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने घटना को देखा।

- 03— फरियादी कुन्दन सिंह ने घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक—14.07.17 को पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना पिपरई के अदम चैक क्रमांक—141/14 अंतर्गत 323, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। फरियादी कुन्दन सिंह का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी कुन्दन सिंह को दांतों से काटना व चांटों से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना पिपरई के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक—214/14 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 504, के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.03.17 को कुन्दन सिंह अ0सा0 1 के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा 504 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा 324/34, 324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.07.14 को शामं करीब 06:00—07:00 बजे ग्राम खैराई थाना पिपरई कुन्दनसिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण अभियुक्त बादाम सिंह ने दांत से काट कर तथा अभियुक्त सोनू ने चांटों से मारपीट कर कुन्दन सिंह को स्वैच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 06— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये। अभियोजन की ओर से फरियादी कुन्दन (अ0सा0 1) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी कुन्दन सिंह (अ0सा0 1) के अनुसार घटना दिनांक को शामं के समय आरोपीगण ने उसके साथ जमीनी के

विवाद पर से मां बहन की गालियां दी थी। फरियादी के अनुसार घटना दिनांक को उसके साथ अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की थी बल्कि केवल मुंहवाद किया था। फरियादी कुन्दन अ०सा० 1 का यह भी कहना है कि उसने पुलिस थाना चंदेरी में आरोपीगण की रिपोर्ट प्र०पी०1 तो लेख कराई थी परन्तु इस साक्षी के अनुसार उक्त रिपोर्ट मुंहवाद और गाली गलौच के संबंध में थी।

- 07— कुन्दन सिंह (अ०सा० 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन का इस बात पर तो समर्थन किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ विवाद कर उसके साथ गाली गालौच की थी परन्तु स्वयं फरियादी ने अभियोजन घटना के विरुद्ध मोके पर केवल मुंहवाद होना बताया है तथा मारपीट की घटना से इन्कार किया है। फरियादी का अपने मुख्य परीक्षण में कहीं भी यह कहना नहीं है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी या घटना में उसे कोई चोट आई थी। फरियादी कुन्दन सिंह अ०सा० 1 के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 1 से मेल नहीं खाती है जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रपी 1 से नहीं होती है।
- 08— फरियादी कुन्दन सिंह (अ०सा० 1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 में लेखबद्ध करायी गई घटना के विपरीत होने से उसको अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया, परन्तु फरियादी कुन्दन सिंह (अ०सा० 1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों पर अटल रहते हुये अभियोजन के समर्थन में घटना के संबंध में कोई कथन नहीं दिये। फरियादी कुन्दन सिंह (अ०सा० 1) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं घटना में आहत है। अपने कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध यह कहता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी तथा घटना में केवल मुंहवाद हुआ था, तथा इस साक्षी ने अपने द्वारा कि गई पुलिस रिपोर्ट प्र०पी०—1 एवं पुलिस को दिये गये कथन प्र०पी०—3 में भी मारपीट की घटना लेख कराये जाने से इन्कार किया है।
- 09— अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में फरियादी को बादाम सिंह ने पीठ में दांतों से काट कर व सोनू ने चांटों से मारपीट कर फरियादी को उपहति कारित की थी उपरोक्त घटना के विपरीत फरियादी कुन्दन सिंह (अ०सा० 1) का कहना है कि घटना में आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की तथा घटना में केवल मुंहवाद हुआ था यह साक्षी पीठ पर बंदर के काटने की चोट घटना के पूर्व की होना बताता है तथा इस बात का स्पष्ट खण्डन करता है कि अभियुक्त बादाम सिंह ने उसे पीठ में काटा था। फरियादी के अनुसार प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में लेख घटना की जैसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई और न ही उसने पुलिस को प्र०पी० 1 की रिपोर्ट व प्र०पी 2 के पुलिस कथन लेखबद्ध कराये। फरियादी का स्पष्ट कहना है उसके साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई थी।
- 10— फरियादी कुन्दन सिंह (अ०सा० 1) के द्वारा अभियोजन कहानी के विरुद्ध कथन देने से एवं स्वयं के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना से इन्कार करने एवं बादाम सिंह द्वारा पीठ में काट लेने की घटना का खण्डन कर स्वयं को कोई चोट न आना बताने के कारण अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं होती है। निश्चित रूप से प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य राजीनामा होना स्वीकृत है, जिसका प्रभाव फरियादी के कथनों में भी हो सकता है,
- 11— किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु इस प्रकरण में अभियोजन के मुख्य साक्षी एवं घटना में आहत

बताये गये फरियादी कुन्दन सिंह (अ0सा0 1) के द्वारा अभियोजन घटना के विरुद्ध स्वयं के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना एवं घटना में स्वयं को चोट आने का खण्डन करने से अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 13.07.14 को शाम करीब 06:00—07:00 बजे ग्राम खैराई थाना पिपरई फरियादी कुन्दनसिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी कुन्दनसिंह को अभियुक्त बादाम सिंह ने दांत से काट कर तथा अभियुक्त सोनू ने चांटों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।

12— फलस्वरूप अभियुक्तगण बादाम सिंह पुत्र गणेशराम, सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र बादाम सिंह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 324, 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण बादाम सिंह पुत्र गणेशराम, सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र बादाम सिंह को भा0दं0वि0 की धारा 324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त ँ णेषित किया जाता है।

13— अभियुक्तगण बादाम सिंह पुत्र गणेशराम, सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र बादाम सिंह के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)